निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 301/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लि॰ रजिस्टर्ड पता–14, 45/90 पी ब्लॉक, प्रथम फ्लोर, कनाट प्लेस, न्यू देहली एवं क्षेत्रीय कार्यालय–प्रथम फ्लोर, प्रेस ग्लोबल टावर, ए–3, 4, 5 सैक्टर–125, नोएडा । प्रार्थी

बनाम

1. रेखा मोकम सिंह पुत्री श्री मोकम सिंह
2. मोकम सिंह पुत्री प्रभू सिंह
3. अंगूरी देवी पत्नी श्री मोकम सिंह

   पता फ्लैट नं॰ जी–2, ग्राउण्ड फ्लोर प्लाट नं॰ 53, राजेन्द्र नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर ।
4. राकेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद
5. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री दुर्गादत्त मिश्रा

   निवासी सी–111, शंकर कालोनी 4–सी, न्यू लोहा मण्डी रोड, जयपुर एवं

   फ्लैट नं॰ जी–2, ग्राउण्ड फ्लोर प्लाट नं॰ 53, राजेन्द्र नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1.श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 21.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.07.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी रेखा मोकम सिंह पुत्री मोकम सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नं॰ जी–2, ग्राउण्ड फ्लोर प्लाट नं॰ 53, राजेन्द्र नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल 850 वर्गफिट को बन्धक रख कर कुल राशि 15,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय सस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 21 जनवरी 2011 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल 15,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 15,88,623/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.07.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी रेखा मोकन सिंह पुत्री मोकन सिंह के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति फ्लैट नं॰ जी–2, ग्राउण्ड फ्लोर प्लाट नं॰ 53, राजेन्द्र नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल 850 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 21.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर